राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1177 / 2011

नशीर मोहम्मद

–अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, सवाईमाधोपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.08.2011
आदेश की दिनांक : 08.05.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेन्द्र सोनी, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन पर विद्वान् अधिवक्ता को सुना जाकर अपीलों को ग्राह्य किया गया। प्रत्यर्थीगण को उक्त सुनवाई के बाद जवाब अपील एवं स्थगन प्रार्थना पत्र के नोटिस जारी किये गये थे।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलार्थी की नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर दिनांक 16.07.1984 को हुई थी। अपीलार्थी ने नियुक्ति के समय बीएससी (गणित) कर रखा था एवं सेवा के दौरान अपीलार्थी ने बीएड की परीक्षा 1988 में व एमए की परीक्षा 1989 में पास कर ली थी। अपीलार्थी को प्रयोगशाला सहायक के पद पर पे–स्केल 490–840 पर प्रथम नियुक्ति दी गई थी। बाद में उसे उक्त पद पर दिनांक 24.12.1987 को स्थाई कर दिया गया था। प्रत्यर्थी विभाग ने प्रयोगशाला सहायकों को तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक के पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया है। अपीलार्थी का अध्यापक ग्रेड–तृतीय में नियुक्ति दी गई। अपीलार्थी ने इस पद पर धारियावाड़, उदयपुर में दिनांक 03.12.1991 को कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी प्रथम नियुक्ति की दिनांक 16.07.1984 से सेवाकाल

की गणना करते हुए 9, 18 व 27 वर्ष की सेवाओं पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की नियुक्ति प्रयोगशाला पद पर हुई थी। विभाग द्वारा ही अपीलार्थी का चयन अध्यापक ग्रेड–।।। के पद पर किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी से कनिष्ठ राजेन्द्र शर्मा को भी नियुक्ति की दिनांक से चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया।

3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति नियमित नियुक्ति की जो प्रयोगशाल सहायक के पद पर नियुक्ति दी गई थी। इस प्रकार नियमित नियुक्ति होने से प्रथम नियुक्ति की तिथि से चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाना चाहिए।

4. अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया गया। प्रथम नियुक्ति का आदेश दिनांक 09.07.1984 (अनुलग्नक–1) प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी का स्थाईकरण नियुक्ति के पश्चात आदेश दिनांक 24.12.1987 (अनुलग्नक–2) के जरिये किया गया, जिसमें नियुक्ति तिथि 10.07.1984 अंकित है एवं अपीलार्थी की स्थाईकरण की तिथि 10.07.1986 अंकित है। अतः उपरोक्त दस्तावेज दर्शित करते हैं कि अपीलार्थी को 2 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात स्थाई किया गया था। अतः अपीलार्थी की नियमित सेवाएं नियुक्ति की दिनांक 10.07.1984 से मानी जा सकती है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी उसकी प्रथम नियुक्ति की तिथि से सेवा अवधि की गणना करवाकर चयनित वेतनमान प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अपीलार्थी को उक्त अवधि से 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान नियमानुसार दिया जाये।

5. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थीगण को यह आदेश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति की दिनांक 10.07.1984 से सेवा की गणना करते हुए प्रथम, द्वितीय व तृतीय चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. स्वीकृत करें और तद्नुसार उनका वेतन नियतन किया जावें और उनको समस्त परिणामिक परिलाभ प्रदान किये जावें।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)